न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07 / 2018

1. सावित्री पत्नी रिछपाल 2. चन्द्रकला पत्नी प्रहलाद 3. विमलादेवी पत्नी सुशील भादू	कौम जाट निवासीयान लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—–अपीलार्थीगण

बनाम

1. जालूराम पुत्र डूंगरराम 2. इन्द्रा देवी पुत्री जालूराम पत्नी पेमाराम 3. देवीलाल पुत्र सुखराम 4. संतोष पुत्री रायसिंह 5. प्रहलाद पुत्र रायसिंह 6. सुशील पुत्र रायसिंह 7. सावित्री पत्नी रिछपाल 8. अमित पुत्र रिछपाल 9. दीपा पुत्री रिछपाल	कौम जाट निवासीयान लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

10. बसा देवी पुत्री नंदराम पत्नी कस्वां जाति जाट निवासी 10 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

11. जगु पुत्र डूंगरराम 12. सावित्री पत्नी बृजलाल 13. रमेशकुमार पुत्र बृजलाल 14. [illegible] पुत्र बृजलाल 15. काशीराम पुत्र सुलतानराम 16. रूकमा पुत्री सुलतानराम 17. पार्वती पुत्री सुलतानराम	कौम जाट निवासीयान लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

18. कान्ता पुत्री हरीराम
19. पुष्पा देवी पत्नी हरीराम
20. पतो देवी पुत्री उदराम
21. गिरदावरी पुत्री उदराम
22. लीला देवी पुत्री नंदराम

कौम जाट निवासीयान लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

23. रणजीतसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

24. मोहनलाल पुत्र मनीराम
25. महेन्द्र पुत्र मनीराम
26. रजीराम पुत्र मेवा
27. गणेशाराम पुत्र मेवा

कौम जाट निवासीयान लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

28. नन्दराम (फौत)

28/1 पृथ्वीराज पुत्र नंदराम
28/2 भोमाराम पुत्र नन्दराम

कौम जाट निवासीयान लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

29. उदराम (फौत)

29/1 हरीराम (फौत)
29/1/1 गौरीशंकर पुत्र हरीराम
29/1/2 प्रेमकुमार पुत्र हरीराम
29/2 मनफुल पुत्र उदराम
29/3 दलीप कुमार पुत्र उदराम

कौम जाट निवासीयान लालगढ जाटान तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

30. मनीराम (फौत)
30/1 नत्थूराम पुत्र मनीराम
30/2 महेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम

31. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

---रेस्पोंडेन्ट्स

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 27.03.2017 व डिक्री दिनांक 28.03.2017

उपस्थितिः–

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक अपीलार्थी

श्री योगेश खडगावत अभिभाषक रेस्पों. सं. 4 से 9

श्री प्रेमप्रकाश मक्कड अभिभाषक रेस्पों. सं. 23

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 14.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 53, 188 का रूपाराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए वाद पत्र की मद सं. 7 में वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करने एवं चक 10 एल.एल.जी व 11 एल.एल.जी. में महेन्द्र, मोहनलाल व रणजीतसिंह का नाम कलमजन करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें। प्रतिवादी सं. 1 से 16 ने इकवाली जबाब दावा मय कांउटर क्लेम पेश किया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 17 से 21 ने इकवाली जबाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 22 ने इकवाल दावा मय कांउटर क्लेम पेश किया। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 27.03.2017 को वादीगण एवं कांउटरक्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 10 जालूराम द्वारा दावा पेश करने से पूर्व अपने हक व हिस्सा की भूमि चक 11 एल.एल.जी में 1.160है0 व

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

11 एल.एल.जी. में 1.834है0 अपनी तीनों पुत्रीयों गोमती, कलावती व इन्द्रा देवी के पक्ष में दानपत्र द्वारा दान कर दी जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। इनमें इन्द्रा देवी द्वारा अपने हक व हिस्सा का रकबा चक 10 एल.एल.जी. व 11 एल.एल. जी. का 0.997है0 रजि. बैयनामा द्वारा 05.09.2017 को अपीलांट के हक में विक्रय कर दिया जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है। अपीलाधीन आदेश के अनुसार रेस्पों. सं. 1 का रकबा 10 एल.एल.जी में 18 बीघा में से 1/3हिस्सा व चक 11 एल.एल.जी. में 19.13 बीघा में 1/3हिस्सा आया। निर्णय व डिक्री में उक्त रकबा जालूराम के नाम से डिक्री किया गया है जबकि जालूराम का इस खाता में कोई रकबा नहीं है फिर भी कांउटर क्लेम स्वीकार किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है जिस हेतु अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथपत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 4 से 9 ने अपनी बहस में अपीलांट की बहस का समर्थन किया। रेस्पों. सं. 23 के वकील ने भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध 23.01.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उसे दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि उनके द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 05.09.2017 से इन्द्रा देवी से चक 10 एल.एल.जी व 11 एल.एल.जी की 0.997है0 भूमि क्रय की है। उक्त भूमि का इन्तकाल भी दिनांक 25.09.2017 को अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। इसी सीमा तक अपीलांट ने यह अपील पेश की है। इसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध बैयनामा की फोटो प्रति से होती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण उक्त भूमि के सदभावी क्रेता हैं एवं अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये उक्त भूमि के सम्बन्ध में वाद डिक्री किया गया है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा क्रय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया एवं तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए वाद को डिक्री करवा लिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 27.03.2017 व डिक्री दिनांक 28.03.2017 में अपीलार्थीगण द्वारा चक 10 एल.एल.जी व चक 11एल.एल.जी. की 0.997है0 भूमि की सीमा तक आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर